GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा.01/ई–निविदा/लेखा/2025–2026/ 6668-6774

दिनांकः 05-03-2025

संशोधित निविदा की शर्तें

अत्यावश्यक

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
समस्त।

विषयः–वर्ष 2025–2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं के संबंध में।

प्रसंगः–राजफेड के पूर्व पत्रांकः 6196–6295 दिनांक 10.02.2025 व पत्रांकः 6544–6642 दिनांक 04.03.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम अनुरोध है कि वर्ष 2025–2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं में पूर्व जारी दिशा–निर्देशों व निविदा प्रपत्र में संशोधन किया गया है। जो कि निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं	वर्तमान शर्तें	संशोधित शर्तें
1.	**चैक लिस्ट संख्याः 8 व बोली की अन्य शर्तें संख्या 7 में :–** गत पाँच वर्षों में से अन्तिम तीन वर्षों का हैण्डलिंग कार्य हेतु (क्रय–विक्रय सहकारी समिति/आर.एस.डब्ल्यू.सी./ सी.डब्ल्यू.सी./भारतीय खाद्य निगम) एवं परिवहन कार्य हेतु दलहन/तिलहन/खाद्यानों सम्बन्धित परिवहन कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र दिया जाना होगा।	गत सात वर्षों में से दो वर्षो में हैण्डलिंग/परिवहन कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। किंतु अनुभव नहीं रखने वाले निविदादाता निविदा आवेदन के साथ टेण्डर वेल्यू की 20 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी के रूप में संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) में जमा कराना अनिवार्य होगा।
2.	**चैक लिस्ट संख्याः 9 व बोली की अन्य शर्तें संख्या 8 में :–** गत पाँच वर्षों में से कुल टर्नओवर प्रतिवर्ष न्यूनतम 70.00 लाख रू. हो जिसमें लगातार अन्तिम तीन वर्षों का न्यूनतम 50.00 लाख रू. का टर्नओवर खाद्यानों के परिवहन व हैण्डलिंग कार्य से हुआ हो। टर्नओवर की पुष्टि हेतु सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखें (व्यापार खाता, लाभ–हानि खाता, बेलेन्स शीट) के आधार पर सनदी लेखाकार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।	गत सात वर्षो में औसत 20.00 लाख रू. का टर्नओवर हो। टर्नओवर की पुष्टि हेतु सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखें (व्यापार खाता, लाभ–हानि खाता, बेलेन्स शीट) के आधार पर सनदी लेखाकार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3.	**चैक लिस्ट संख्याः 11 व बोली की अन्य शर्तें संख्या 15 में :–** हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा न्यूनतम स्वंय के नाम से कम से कम 10 ट्रकों के रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रतियॉ अथवा उसकी फर्म का 10 ट्रकों का दीर्घकालिक अनुबन्ध होने संबंधी घोषणा पत्र, 100 रू. स्टाम्प पेपर पर, आवेदन के साथ मय विवरण पत्र संलग्न किया जाना होगा।	हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा न्यूनतम स्वंय के नाम से कम से कम 5 ट्रकों के रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रतियाँ अथवा उसकी फर्म का 5 ट्रकों का दीर्घकालिक अनुबन्ध होने संबंधी घोषणा पत्र, 500 रू. स्टाम्प पेपर पर व ट्रकों का फिटनेस प्रमाण–पत्र व बीमा प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। जो आवेदन के साथ मय विवरण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
4.	यदि कोई सदस्य समिति हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य करने हेतु निविदा में भाग लेती है तो उस समिति को कार्यानुभव देने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही समिति के व्यवस्थापक निविदा कमेटी में सदस्य के रूप में भाग नहीं ले सकेगें। इसके लिए संबंधित उपरजिस्ट्रार के निर्देशानुसार समिति व्यवस्थापक के स्थान पर अन्य सदस्य को निविदा कमेटी में भाग लेने हेतु अधिकृत किया जायेगा। **(नयी शर्त जोड़ी गई)**	

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

5.	सफल निविदादाता कार्य छोड़कर चला नहीं जाये अथवा खरीदशुदा जिंसों को नहीं ले जा सकें अथवा जिंसो को वेयरहाउस में जमा नहीं करवाकर खुद-बुर्द कर देवें,ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए,इसके लिए सफल निविदादाता से उसको दिये गये कार्यादेश की राशि का 50 प्रतिशत बैंक गारंटी के तौर पर संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी। **(बोली की अन्य शर्ते संख्याः 25 में जोड़ा जाये)**

उपरोक्त के संबंध में जिन भी संवेदक/ठेकेदारों/फर्मो/निविदादाताओं द्वारा जो भी राशि निविदा कमेटी को जमा कराई गई, उन्हें वापिस लौटाई जानी है तथा नये सिरे से संशोधित शर्तों के अनुसार राशि जमा की जायेगी।

समर्थन मूल्य पर खरीद शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही हैं। अतः समयाभाव एवं अत्यावश्यक्ता को मद्देनजर रखते हुए आर.टी.पी.पी. एक्ट व नियमों के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की नियत अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए आधी समयावधि में निविदा आमंत्रित किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

उपर्युक्त के अलावा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश एवं निविदा-प्रपत्र में शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,माननीय सहकारिता मंत्री महोदय,राजस्थान-सरकार।
2- निजी सचिव,प्रशासक राजफेड व मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान-जयपुर।
3- निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव व रजिस्ट्रार महोदया,सहकारिता विभाग,जयपुर।
4- निजी सचिव,जिला कलक्टर,समस्त।
5- निजी सचिव,प्रबन्ध संचालक,राजफैड,जयपुर।
6- अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,समस्त।
7- महाप्रबन्धक(वित्तीय सलाहकार/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि.)राजफेड-जयपुर।
8- राज्य प्रमुख,नेफैड,जयपुर।
9- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड-समस्त को भेजकर अनुरोध है कि उक्तानुसार निविदा की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करें।

प्रबन्ध निदेशक,राजफैड